राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, 2227555, Fax: 2227602, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक : एफ-7( )/रालसा/स्थापना/एनएलए/डीएसएडीआर/2017/275 दिनांक 3.6.2017

कार्यालय आदेश

जैसा कि विदित्त है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में राजकीय अवकाश के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तब लोक अदालत की बैंच में कार्य करने वाले पीठासीन अधिकारी, रीडर, स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक कर्मचारी को मानदेय दिए जाने बाबत् इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में पत्रांक 12369-12402 दिनांक 01.12.2015 एवं पत्रांक रालसा/2016/15 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त दोनों निर्देशों की निरन्तरता में यह स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि राजकीय अवकाश के दिन आयोजित होने वाली लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैंच से संबंधित कर्मचारी के अतिरिक्त **किसी अन्य लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी लिखित में ड्यटी लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको भी एक दिन के मूल वेतन के बराबर विशेष कार्य भत्ता दिया जायेगा।**

इस संबंध में यह भी दिशा-निर्देश जारी किया जाता है कि बैंचों से संबंधित कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाते समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष **कार्य की प्रकृति एवं कार्य भार को ध्यान में रखकर ड्यूटी का कार्यालय आदेश जारी करे, ताकि राजकोष पर अनावश्यक भार ना पड़े।**

यहां यह भी स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि यह विशेष कार्यभत्ता राजकीय अवकाश के दिवस पर राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्य करने के कारण दिया जा रहा है। अतः यदि इस दिवस के अतिरिक्त सम्पूर्ण माह के लिए कोई अन्य विधिक भत्ता या मानदेय किसी लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिया जा रहा है तो वह भत्ता/मानदेय इस विशेष कार्य भत्ते से प्रभावित नहीं होगा। यह विशेष कार्यभत्ता धारा 4(सी) में आवंटित बजट से दिया जायेगा।

यह आदेश दिनांक 01.12.2015 से प्रभावी होगा, किन्तु यदि किसी कर्मचारी के द्वारा राजकीय अवकाश के दिवस पर कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश (CCL) का उपभोग कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे यह विशेष कार्य भत्ता नहीं दिया जावेगा।

(एस. के. जैन)
सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ-7( )/रालसा/स्थापना/एनएलए/डीएसएडीआर/2017/7249-7473 दिनांक 8.6.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
4. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/एक्शन प्लान एवं एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर।
5. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

(अनुतोष गुप्ता)

उप सचिव

(एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर.)

"Help The needy - Timely Help May Create History"